संख्या–डी-610 /अडतीस–2–2010–2 (31)डी./2010

प्रेषक,

गिरजा शंकर त्रिवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2010

विषयः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वादों की समुचित पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–91/38–2–2010–2(31)डी/2010, दिनांक 06.05.2010 एवं डी–609/अडतीस–2–2010–2(31)डी/2010, दिनांक 25.06.2010 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरन्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के निम्नलिखित मण्डलों के वादों की पैरवी करने हेतु अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :––

1–	**मुख्य स्थायी अधिवक्ता–** **मा0उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच**	लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद मण्डल का जनपद प्रतापगढ़।
2–	**श्री एम0सी0 चतुर्वेदी** **मुख्य स्थायी अधिवक्ता–** **मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद**	आगरा, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर तथा अलीगढ़।
3–	**श्री सुरेश सिंह** **अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता–** **मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद**	आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, झाँसी, इलाहाबाद (जनपद प्रतापगढ़ को छोड़कर) मिर्जापुर, वाराणसी तथा चित्रकूटधाम।

2– उक्त अधिवक्ता वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से सम्बन्धित रिटों की पैरवी करने हेतु अधिकृत होंगे तथा उन्हें न्याय विभाग द्वारा निर्धारित की गयी दरों के अनुसार फीस अनुमन्य होगी।

3– कृपया तद्नुसार अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**गिरजा शंकर त्रिवेदी**)
उप सचिव।

––2/––

संख्या-9610 (1)/अडतीस-2-2010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- **श्री एम0सी0 चतुर्वेदी**, मुख्य **स्थायी** अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।

4- श्री सुरेश चन्द्र सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

17/07/10

(गिरिजा शंकर त्रिवेदी)

उप सचिव।